न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 07/2025 (JCMS: २०२५/६१)

अनवानः अमरजीत कौर बनाम गुरमुख सिंह आदि

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी

--निर्णय-- **दिनांक : 11.03.2025**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि प्रकरण संख्या 98/2011, अनवान अमरजीत कौर बनाम गुरमुख सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए का निर्णय दिनांक 01.07.2024 व डिक्री दिनांक17.12.2024 को पारित की गई है। वन्द्रिर कौर बिरक उर्फ वीना पुत्री गुरमुख सिंह के हिस्सा में चक 14 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 22/1 की 0.144 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.042 हैक्टेयर भूमि सहवन से अंकित हो गई है। अतः निर्णय दिनांक 01.07.2024 व डिक्री दिनांक 17.12.2024 को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। नकल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फैसला दिनांक 01.07.2024 व डिक्री दिनांक 17.12.2024 को अनुतोष मुताबिक दुरूस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर स्वीकार किए जाने हेतु सहमति दी।

हमने अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण संख्या 98/2011, अनवान अमरजीत कौर बनाम गुरमुख सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 आरटीए के निर्णय दिनांक 01.07.2024 व डिक्री दिनांक 17.12.2024 का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी"

प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है तथा निर्णय दिनांक 01.07.2024 व डिक्री दिनांक 17.12.2024 में प्रतिवादी संख्या 2 वनिन्द्रर कौर बिरक उर्फ मीना के रकबा में चक 14 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 22/1 की 0.042 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.144 हैक्टेयर भूमि पढे जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सहायक कलक्टर [illegible] उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर